कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

विस्तृत दिशा–निर्देश

इस कार्यालय के आदेश संख्या/प्रा0शि0–विज्ञप्ति/330/रा0प्रा0वि0/2025–26 दिनांक 07 नवम्बर 2025 के द्वारा जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 35400–112400, लेवल–6) के 230 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु **दिनांक 12 जनवरी 2026** की तिथि निर्धारित की गयी है उक्त तिथि को पात्र अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच के समय निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करेंगे।

1. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सार्टिफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)।
5. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूल प्रति।
6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
8. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 संख्या 164/XXX–2/19–01(17)/2012 देहरादून दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019" के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बंधित अभिलेख की मूल प्रति।
9. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर अन्य राज्य से सम्बंधित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बंधित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10–10–2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
10. समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एक प्रति मे फाइल कवर के साथ लायें।
11. (एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य भी यथा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धन/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति पंजिका, पठन–पाठन की समय सारिणी, दिनांक 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. उपाधि प्राप्त किया जाना इत्यादि।) प्रस्तुत करने होंगे। एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. उपाधि धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नितान्त रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी।
12. प्रमाण पत्रों की जॉच की तिथि को श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। अनुपस्थित पाये गये अभ्यर्थी को भविष्य में किसी भी दशा में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा एवं तत्काल उसी समय अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।
13. प्रमाण पत्रों की जांच के समय मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन होने के उपरान्त सम्बंधित अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कर दिये जायेंगे।
14. प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अभ्यर्थियों की दिनांक 12 जनवरी 2026 को प्रातः 10:00 बजे कार्यालय में उपस्थित दर्ज की जायेगी।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को प्रतिभाग नही किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चयन रिक्त पदों की सीमा तक ही किया जायेगा। प्रमाण पत्रों की जांच/सत्यापन में प्रतिभाग करने एवं उक्त तिथि को उपस्थित होने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner